न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 18 / 2020

जी.सी.एम.एस. : 2020 / 00063

1. काशीराम पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:प्रार्थी

बनाम

1. बुधराम पुत्र भेराराम जाति नायक निवासी 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री आत्माराम बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 पीटीडी के खाता सं. 36 प.नं. 262/354 मु.नं. 19 की 1.550है. नहरी भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से खातेदारी भूमि हैं। इस भूमि में से कि.नं. 3–8–13–16–18–23 कुल 6 बीघा भूमि दिनांक 13.11.2017 को बैसाखी 2018 से बैसाखी 2024 तक छ साल के लिए ठेका पर चार लाख रूपया में काश्त करने के लिए प्रार्थी को दी रूपया प्राप्त कर कब्जा दे दिया। जो प्रार्थी के पास लगातार चला आ रहा हैं। प्रार्थी ने विवादित भूमि का कब्जा लेकर काविल काश्त बनाया हैं। मौके पर हाडी की फसल काश्त खड़ी हैं। जिसे देख अप्रार्थी के मन में लालच आ गया हैं। व प्रार्थी की काश्तशुदा फसल को जबरन बलपूर्वक उठाने के लिए धमकीयां देता फिर रहा हैं। प्रार्थी के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई आजीविका का साधन नहीं हैं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः चक 11 पीटीडी के खाता सं. 36 प.नं. 262/354 मु.नं. 19 के कि.नं. 3–8–13–16–18–23 कुल 6 बीघा भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग व धारण में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी अप्रार्थ करने से बाज व ममनु रहे व किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण करने से बाज व ममनु रहे बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद नाटिस तामील अप्रार्थी द्वारा हाजिर नहीं आने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 28.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से भूमि ठेका पर ली गयी हैं। अब अप्रार्थी के मन में लालच आ गया हैं, वह अप्रार्थी को बेदखल करना चाहता हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2076–79 चक 11 पीटीडी के खाता सं. 36 की भूमि अप्रार्थी बुधराम के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा ठेकानामा के आधार पर चाही गयी हैं। अप्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि खातेदार टिनेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने का अंदेशा हैं। किसी खातेदार टिनेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:20 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner